न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री धारा (आर.ए.एस)

वाद कमांकः— 110/2019

1. राधाकृष्ण पुत्र धारा सिंह जाति धाकड निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर
.... वादी

बनाम

1. वनवारी
2. बलवीर
3. महेन्द्रसिंह
4. सुन्दर सिंह पुत्रान रमेश जातियान धाकड निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर
.... असल प्रतिवादी
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील रूपवास जिला भरतपुर
..............तरतीवी प्रतिवादी

दावा धारा 53 व 188 आर0टी0ए0

उपस्थितिः—
1. श्री मुकेशचन्द शर्मा एडवोकेट......... अभि0 वादी
2. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट........... अभि0 प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—11.11.2025

वादी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 आर0टी0ए0 के तहत यह वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खाता संख्या 384 के खसरा न. 1699 रकबा 0.32 है0 बांके ग्राम पना तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी वादी व असल प्रतिवादीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के सहखातेदार काश्तकार व काबिज हैं। विवादित आराजी राजमार्ग (हाईवे) बयाना से उच्चैन से सटी होने के कारण कीमत दिन–प्रतिदिन बढ रही है तथा आए दिन वादी एवं असल प्रतिवादीगण के मध्य किसी न किसी बात को लेकर तनाव पैदा होता है इसलिए आराजी के विभाजन की आवश्यकता हो गई है। दिनांक 06.12.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को धमकी दी गई जिससे व्यथित होकर वादी ने यह वादपत्र पेश किया है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण 17.03.2020 को जरिये अधिवक्ता श्री दुलीचन्द शर्मा न्यायालय में पेश हुए एवं दिनांक 12.01.2021 को जवाब पेश किया। उक्त प्रकरण को उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दिनांक 22.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। दिनांक 17.05.2022 को तहसीलदार

11.11.25

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

च्चैन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ उक्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण के द्वारा एतराज पेश किया गया। उभयपक्ष के द्वारा दिनांक 13.12.2022 को एक राजीनामा प्रकरण को राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने हेतु पेश किया। उक्त राजीनामा दिनांक 10.09.2025 को उभयपक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा प्रकरण को राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ पेश राजस्व रिकार्ड एवं शपथ पत्र एवं दिनांक 10.09.2025 को तस्दीकशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी का वादपत्र राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि खसरा न. 1699 रकबा 0.32 है0 बांके ग्राम पना तहसील उच्चैन(मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074) के राजीनामा एवं राजीनामा में पेश नजरी नक्शे के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, भू–राजस्व निर्धारित करेंगे। राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.11.25

धारा (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन (भरतपुर)

व इजलास कुमारी शारदा (R.A.S.)

राधाकृष्ण बनाम बनवारी

दावा बाबत दावा धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 110/2019 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू इकरार

व हाजरी श्री मुकेश चन्द शर्मा एड० मिनजानिब

श्री डूंगरचंद शर्मा एड० मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। तह० उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि ख०न० 1699/0.32 है० वाके ग्राम पंचायत तह० उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी संवत 2074) के राजीनामा एवं राजीनामा के पेश नजरी नक्शे के मुताबिक रास्ता रिकार्ड के प्रथक-प्रथक खाते संधारित करेंगे, व रास्ता निर्धारित करेंगे। राजीनामा डिक्री का भाग होगा

आज........ मुबलिग........ बाबत........

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक........ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 11 वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत (हस्ताक्षर) 11-11-25

सहायक कलक्टर

मुहर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर........		
महनताना वकील	)पर........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— श्री राजीव शर्मा (आर.ए.एस)
वाद कमांक:— 110/2019

1. राधाकृष्ण पुत्र धारा सिंह जाति धाकड निवारी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

.... वादी

बनाम

1. वनवारी
2. बलवीर
3. महेन्द्रसिंह
4. सुन्दर सिंह पुत्रान रमेश जातियान धाकड निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

.... असल प्रतिवादी

5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील रूपवास जिला भरतपुर

..............तरतीवी प्रतिवादी

दावा धारा 53 व 188 आर0टी0ए0

11.11.24

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय उज्जैन

W/t
13/12/22

राधा कृष्ण V/S बनवारी वगैरा

प्रार्थना पत्र बाबत सहमति के
आधार दुरुस्तीजात कायम किये
जाने बा

श्रीमान जी.
उपरोक्त सुनवाई प्रकरण हाजा दुरुस्ती रिपोर्ट के बाबत नियत है पूर्व में दुरुस्ती रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश की जा चुकी है लेकिन अब प्रकरण हाजा के पक्षकारान में आपस में नाते रिश्तेदारान ने समझौता कर लिया है इसलिये अब समझौता के आधार पर विवादित आराजी की दुरुस्ती रिपोर्ट तैयार की जाकर राजस्व रिकार्ड में समझौता के आधार दुरुस्ती कायम की जाने की आज्ञा पारित की जावे तथा सहमति पत्र दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

(हस्ताक्षर)

प्रार्थी
राधा कृष्ण पुत्र श्री धमाहिर
जाति धाकड़
निवासी बीरमपुरा
तह० कायथा
ता० 13/12/22

(हस्ताक्षर) एडवोकेट
13/12/2022

10/9/25 यह राजीनामा दिनांक 13/12/2022 को अधि० वादी के द्वारा न्यायालय के पेश किया था। आज दिनांक 10/9/25 को वादी एवं प्रति० संख्या 1 लगा० 5 स्वयं न्यायालय में उप० आये। वादी की पहचान श्री मुकेश चन्द्र शर्मा एड० द्वारा की गई। प्रति० सं० 1 लगा० 5 की पहचान ~~प्रति~~ श्री दुर्गी चंद शर्मा एड० ने की है। राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा का सही होना स्वीकार किया गया है। राजीनामा तस्दीक आज दिनांक 10/9/25 को तस्दीक किया जाता है।

वादी
[signature]

मैं वादी राधाकृष्ण को पहचान करता हूं [signature]
10/9/25

प्रतिवादीगण
Dhaked
लालवीर
महेन्द्र सिंह
सुन्दर सिंह

मैं उक्त प्रतिवादी सं० 1 ली पहचान करता हूं।
[signature]
10/9/2025

[signature]

Scanned by CamScanner

राजस्थान

SPECIAL ADHESIVE

कोषाधिकारी
रूपवास / भरतपुर

समझौता–पत्र

हम कि राधा किशन आयु 57 साल पुत्र श्रीधारा सिंह जाति धाकड़ निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर मुकदमा हाजा का वादी हूँ एवं बनवारी, बलबीर, महेन्द्र,सुन्दरसिंह पुत्रान रमेशचन्द जाति धाकड वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0 मुकदमा हाजा के प्रतिवादी है।

राजीनामा

राधाकिशन बनाम बनवारी

दावा बावत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

हम पक्षकरान मुकदमा हाजा के मध्य विवादित आराजी वाके ख0न0 1699 रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम पना तहसील उच्चैन में है। जिसमें वादी राधा किशन 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी सडक मार्ग उच्चैन से बयाना के सहारे तरफ पूर्व दिशा में स्थित है उक्त आराजी मे से सडके के सहारे आराजी की 21 फीट चौडाई को छोडकर शेष आराजी प्रतिवादीगण की रहेगी तथा अराजी में से 21 फीट चौडाई वादी की रहेगी और इससे लगी हुई शेष आराजी हिससा प्रतिवादीगण के हिस्से की तरफ पूर्व में वादी की रहेगी तथा वादी को हिस्से में मिली आराजी के तरफ उत्तर में 12 फीट चौडाई का रास्ता प्रतिवादीगण का रहेगा उक्त 12 फीट चौडाई रास्ता की लम्बाई वादी क हिस्से की लम्बाई के बराबर रहेगी इसी राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमल में दर्ज करया जावेगा तथा पुस्त पर नक्शा दर्ज है।

10/09/25

10/9/25

राधा किशन / धारा सिंह
नाम .... जाति जाटव निवासी वीरमपुरा
तहसील बयाना जिला भरतपुर
विक्रेता स्टाम्प वेंडर ... लाइसेंस नं. 16/83

341
06-7-22

50+12=50 80
15
65
5-110
15

राधाकृष्ण

तथा हम वादी व प्रतिवादीगण के मध्य जो भी मुकदमे चल रहे है उनका निस्तारण प्रतिवादीगण करायेगे तथा वादी राधा किशन के विरूद्ध जो मुकदमा धारा 3 एस0सी, एस0टी एक्ट व धारा 326 आई0पी0सी का लगाया है उसको खत्म कराने की जिम्मेदारी हम प्रतिवादी की है। हम प्रतिवादीगण ही उक्त मुकदमे का हर्जा–खर्चा बहन करेंगे। रेवन्यू के केस का खर्चा वादी ही वहन करेगा।

उक्त राजीनामा हम सभी ने पंच पटेलों के समक्ष बिना किसी दबाव के एवं बिना नशे पत्ते के होश हवास में लिख दीना है इसी के मुताविक राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे सनद रहे वक्त पर काम आवे।

गवाह (1) [illegible] R/o वीरमपुरा
अमरसिंह S/o [illegible] जाटव R/o वीरमपुरा
गुड्डू S/o [illegible] जाटव R/o वीरमपुरा
[illegible] S/o श्री [illegible] R/o बयाना
[illegible] S/o [illegible] जाटव R/o वीरमपुरा
[illegible] योगेश पुत्र [illegible] जाटव R/o वीरमपुरा

पक्ष वादी राधाकृष्ण — मैं वादी को [illegible]

पक्ष प्रतिवादी — बलबीर
— [illegible] सिंह
मैं प्रतिवादी [illegible] को [illegible] जानता हूँ।

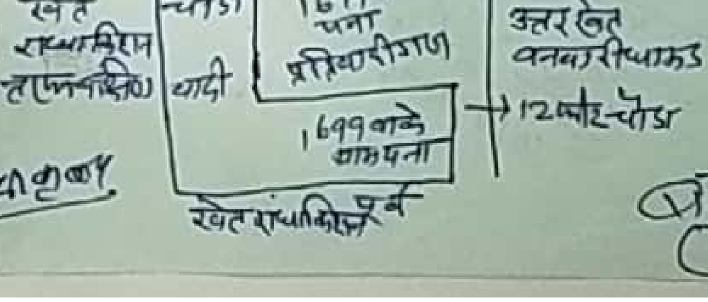

(वादी) राधाकृष्ण

बलबीर
(प्रतिवादी)
[illegible]

Scanned by CamScanner